

पत्र सं.849-W/10/Safety/2023/M-1/ X

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक

एवं मुख्य ब्रू नियन्त्रक

जोधपुर एवं मेड़ता रोड

समस्त लोको पायलट ,लोको पायलट शंटर एवम् सहायक लोको पायलट

विषय:- चालक दल द्वारा लोको स्टैबलिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना

लोको छोड़ने से पहले , लोको पायलट /लोको पायलट शंटर / सहायक लोको पायलट के कर्तव्य

हाल ही में DFC रेलवे में न्यू अटेली जंक्शन (AELN) स्टेशन पर दिनांक 20.10.24 को लाइट इंजन के रोल डाउन की घटना हुई थी ऐसी घटना होने से यह इंगित होता है कि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों / प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया जा रहा है ।

लोको व लोड स्टेबल के समय सिक्योर करने के लिए विस्तृत निर्देश दिनांक 30.09.24 को मंडल कार्यालय आदेश 31/2024 दिनांक 30.09.24 को जारी किये गये थे अभी पुनः सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को लोको स्टेबल के दौरान की जाने वाली निम्न कार्यवाही को काउंसलिंग करे तथा स्वयं भी इसकी अम्बुश जाँच कर 07.11.24 को इसकी अनुपालना रिपोर्ट मंडल कार्यालय में जमा करे ।

स.नि. 5.23(3) लोको सहित लोड/गाड़ी को स्टेबल किये जाने या लाइट इंजन को बंद या स्टेबल किये जाने पर लोको छोड़ने से पहले LP/ALP/LPS द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -

(अ) SA-9 तथा A-9 दोनों ब्रेक लगाना।

(ब) पार्किंग ब्रेक तथा हैण्ड ब्रेक लगाना ।

(स) लोको में उपलब्ध वुडन वेज से लोको सिक्योर करना ।

स.नि. 5.23(4)(अ) जब लोको पायलट ड्यूटी पर तैनात हो तो उसे लोको मानव रहित (अनमैंड) नहीं छोड़ना चाहिए । यदि उसे ऐसा करना पड़े तो उसे स्टेशन मास्टर /यार्ड मास्टर से लिखित प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सहायक नियम 5.23(3)(अ) (ब) एवं (स) को सुनिश्चित करना चाहिए ।

स.नि. 5.23(4)(ब) स्टेशन/ यार्ड छोड़ने से पूर्व, लोको पायलट एवं ट्रेन मेनेजर द्वारा स्टेशन मास्टर द्वारा मेनटेन किये जा रहे रजिस्टर में संयुक्त रूप से यह रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि लोको एवं लोड को उपरोक्तानुसार किया गया है ।

वरी, मंडल वांत्रिक इंजी. (Enhm&P)

उ.प. रेलवे, जोधपुर

प्रतिलिपि

मंडल रेल प्रबन्धक सादर सूचनार्थ

अपर मंडल रेल प्रबन्धक (परि.), सादर सूचनार्थ

वरी. मंडल संरक्षा अधिकारी, सादर सूचनार्थ

स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु